राजस्व वाद संख्याः—191 / 2022
आशुतोष बनाम ग्यारसी आदि
निर्णय दिनांकः— 1.7.2024

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी — हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर— 191 / 2022 GCMS No. 2022/558

आशुतोष पुत्र मुन्शी उम्र 24 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब—ना—म

1. ग्यारसी देवी पत्नी बनवारी लाल उम्र 85 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. फुली बाई पुत्री बनवारी उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. रामचन्द्र पुत्र बनवारी लाल उम्र 63 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सोमवीर पुत्र जुगलाल उम्र 24 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. पूजा पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. मौसम पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. भतेरी पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रितु पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. सिन्टु पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
10. बन्टी पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
11. महेन्द्र सिंह पुत्र सुन्डाराम उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. जिले सिंह पुत्र सुन्डाराम उम्र 58 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
13. बोबदी पत्नी सुन्डाराम उम्र 80 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. मुन्नी पुत्री सुन्डाराम उम्र 55 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

15. पतासी पत्नी प्रभाती लाल उम्र 90 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
16. बृजलाल पुत्र प्रभाती लाल उम्र 65 साल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
17. राजवीर पुत्र प्रभाती लाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
18. विरेन्द्र पुत्र प्रभाती लाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
19. मनीराम पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
20. कविता पुत्री छगाराम जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
21. दिनेश कुमार पुत्र छगाराम जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. मुकेश पुत्री छगाराम जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
23. मन्जु पुत्री छगाराम जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
24. रेशमी पत्नी छगाराम जाति मेघवाल निवासी सहड़ का बास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
25. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा– खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक : – 01/7/24

वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा कि :–

1. यह है कि वाके ग्राम सहड़ का बास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 50 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल ख.नं. 1101 रकबा 3.07 है. भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 19 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी का 4094669/7460100 हिस्सा है जिसमें वादी के हिस्से में 1.685 है. भूमि आती है तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/25 हिस्सा, [illegible] हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगा. 10 का 1/25 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 11 लगा. [illegible] /1535 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 15 का 11/2150 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 16 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 17 का 49/8100 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 18 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी सं. [illegible] का 1/25 हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज है तथा उसी अनुसार वादी काबिज क[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. वाके ग्राम सहड़ का बास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 146 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल ख.नं. 1022 रकबा 0.06 है., ख.नं. 1024 रकबा 6.59 है. किता 2 कुल रकबा 6.65 है. के संयुक्त खातेदार वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 24 दर्ज है जिसमें वादी का हिस्सा 280613 / 461700 हिस्सा है जिसमें वादी के हिस्से में 4.041 है. भूमि आती है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 24 का है जो जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार है वादी अपने हिस्से अनुसार अपनी भूमि काश्त करता है।
3. यह है कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 व 2 में उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है लेकिन मौके पर खातेदारों ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। ख.नं. 1101 व 1024 के मध्य आम रास्ता पूर्व से पश्चिम दर्ज है उक्त रास्ते के उतर में ख.नं. 1024 स्थित है तथा रास्ते के दक्षिण में ख.नं. 1101 स्थित है उक्त वर्णित भूमि में वादी के हिस्से में कुल 5.72 है. भूमि हिस्से में आती है तथा उसी अनुसार वादी मौके पर काबिज काश्त है।
4. यह है कि वाद वर्णित भूमि की खातेरी दाजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा विधिवत बटवारान होने की वजह से वादी अपनी भूमि में विकास कार्य भी करवा सकता है इसलिए वादी ने अपनी भूमि का खाता विभाजन करवाने का निश्चय किया है। वादी का मैके पर ख.नं. 1024 व 1101 में दोनों में कब्जा काश्त है उसी अनुसार वादी अपनी भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है। इसलिए यह वाद खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा किः—

(क). यह है कि वाके ग्राम सहड़ का बास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 50 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल ख.नं. 1101 रकबा 3.07 है. भूमि में वादी का 4094669 / 7460100 हिस्सा जो 1.685 है. तथा खाता संख्या 146 के हाल ख.नं. 1022 रकबा 0.06 है., ख.नं. 1024 रकबा 6.59 है. कुल किता 2 कुल रकबा 6.65 है. में वादी का हिस्सा 280613 / 461700 हिस्सा है जिसमें वादी को 4.041 है. का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अलग से लगान कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 12 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा वाद वादी मय हर्जा खर्चा के खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 से 26 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 05.07.2023 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.07.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु [illegible] कार्यालय के पत्रांक 566 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक [illegible] दिनांक 19.01.2024 के द्वारा विभाजन [illegible] किया गया प्रार्थी के प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई एतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम सहड़ का बास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 50, 146 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन का डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सहड़ का बास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 50 में दर्ज खसरा नंबर 1101 रकबा 3.07 है. में वादी का 4094669/7460100 हिस्से का तथा खाता संख्या 146 में दर्ज खसरा नंबर 1022, खसरा नम्बर 1024 कुल किता 2 कुल रकबा 6.65 है. में वादी का 280613/461700 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 566 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 186 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

(stamp: उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 01/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:39:42 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 191 / 2022 GCMS No. 2022/558

आशुतोष **बनाम** आशीष आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से नरपालसिंह एडवोकेट की उपस्थित में एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन का डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सहड़ का बास तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 50 में दर्ज खसरा नंबर 1101 रकबा 3.07 है. में वादी का 4094669 / 7460100 हिस्से का तथा खाता संख्या 146 में दर्ज खसरा नंबर 1022, खसरा नम्बर 1024 कुल किता 2 कुल रकबा 6.65 है. में वादी का 280613 / 461700 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन **मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 566 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 186 दिनांक 19.01.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ----01/07/24----को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:59:42 IST
Reason: SelfAttested